चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : बी0एड0 सैल/ए0आर0/4068
दिनांक : 17.06.23

विज्ञप्ति

अवगत कराना है कि सत्र 2021–23 की बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित कतिपय छात्र जिन्होंने स्नातक उपाधि के रूप में बी0फार्मा0 किया हुआ है ने काउंसलिंग के माध्यम से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध बी0एड0 संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया तथा बी0एड0 प्रथम वर्ष 2022 की परीक्षा में सम्मिलित हो गये। विश्वविद्यालय द्वारा इनके परीक्षा फार्म की जाँच करने पर जब यह पाया गया कि इन्होंने बी0फार्मा0 किया हुआ है तो इनकी प्रथम वर्ष की अंकतालिका निरूद्ध कर दी गयी तथा इनके बी0एड0 द्वितीय वर्ष के परीक्षा फार्म भरने पर रोक लगा दी गयी।

बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा वर्ष 2021 आयोजित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा घोषित बी0एड0 द्वि–वर्षीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत है :–

"विज्ञान/सामाजिक–विज्ञान/मानविकी–वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। बी0ई0 एवं बी0टेक0 (अभियांत्रिकी) में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिये न्यूनतम 55% (पचपन प्रतिशत) अंकों के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं।"

उपर्युक्त अर्हता मानक के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है कि बी0फार्मा0 उपाधि धारक अभ्यर्थी बी0एड0 में प्रवेश लेने हेतु अर्ह है अथवा नहीं है।

एक छात्र श्री आशिफ खान द्वारा उक्त के सम्बन्ध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका योजित की गयी जिस पर सुनवायी करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को तीन सप्ताह के भीतर प्रकरण पर तार्किक निर्णय लेने हेतु आदेशित किया है।

माननीय न्यायालय के आदेशों के अवलोकन में प्रकरण को विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 02.06.2023 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर परीक्षा समिति द्वारा अर्हता की जाँच किये जाने हेतु नियामक संस्था "एन0सी0टी0ई0" से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। ई–मेल दिनांक 03.06.2023 तथा पुनः ई–मेल दिनांक 07.06.2023 द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, एन0सी0टी0ई0 को प्रकरण पर स्पष्ट निर्देश प्रदान करने हेतु आग्रह किया गया किन्तु अद्यतन कोई भी उत्तर एन0सी0टी0ई0 से प्राप्त नहीं हुआ है।

उपर्युक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्हता मानक एवं एन0सी0टी0ई0 के अर्हता मानक के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि विज्ञान संकाय के अधीन आने वाले पाठ्यक्रमों के स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी बी0एड0 करने हेतु अर्ह हैं। इस तथ्य के दृष्टिगत भविष्य में एन0सी0टी0ई0 से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अधीन बी0फार्मा0 उपाधि प्राप्त छात्रों के बी0एड0 द्वितीय वर्ष परीक्षा फार्म दिनांक 20.06.2023 तक भरवाते हुए उन्हें दिनांक 23.06.2023 से आयोजित होने वाली बी0एड0 द्वितीय वर्ष की सैद्धान्तिक परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार के छात्रों का परीक्षा परिणाम एवं उपाधि एन0सी0टी0ई0 से प्राप्त होने वाले निर्देशों के अधीन होगी।

सत्र 2021–23 के बी0फार्मा उपाधि धारक समस्त अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 20.06.2023 तक विश्वविद्यालय का ऑनलाइन परीक्षाफार्म पोर्टल खुला रहेगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि इस अवधि में अपना परीक्षाफार्म भरना/परीक्षाशुल्क जमा करना तथा महाविद्यालय से परीक्षाफार्म सत्यापित कराना सुनिश्चित करे।

17/06/2023
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
02. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त प्रकार के छात्रों को अपने स्तर से इस विज्ञप्ति से अवगत कराना सुनिश्चित करे।
03. छात्र श्री आशिफ खान।
04. उपकुलसचिव (गोपनीय)।
05. संकायाध्यक्ष शिक्षा।
06. प्रभारी (सीक्रेसी)।
07. विश्वविद्यालय अधिकृत एंजेसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपुर्यक्त अवधि में केवल बी0फार्मा0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो अपना परीक्षाफार्म भरने से वंचित रह गये है, के ही परीक्षाफार्म भरवाना सुनिश्चित करे। अन्य किसी भी छात्र का परीक्षाफार्म न भरा जाये यह सुनिश्चित करे।
08. प्रेस प्रवक्ता।

17/06/23